

प्रेषक

सेवा में

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन0सी0आर0), गुडगांव।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
3. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत।

क्रमांक: आई0आर0-2/2020/

दिनांक:-

विषय:

न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा उसमें दिनांक 01-07-2020 से बढ़ोतरी
बारे।

.....

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

सरकार की अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 द्वारा भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-07-2020 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और यह कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं। इन आंकड़ों में हुई बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती रहती है।

अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, हरियाणा से जनवरी, 2020 से जून, 2020 तक हरियाणा राज्य कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत घटत/बढ़त की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निम्न प्रकार से है:-

जनवरी, 2020	1263 (2728)
फरवरी, 2020	1254 (2709)
मार्च, 2020	1251 (2702)
अप्रैल, 2020	1263 (2728)
मई, 2020	1265 (2732)
जून, 2020	1269 (2741)
औसत	1261 (2723)


उप श्रम आयुक्त
हरियाणा, चण्डीगढ़

दिसम्बर, 2019 को समाप्त हुई अर्धवर्ष में मूल्य सूचकांक का औसत 2674 था। अब मास जून, 2020 में अर्धवर्ष की समाप्ति के बाद मूल्य सूचकांक का औसत 2723 हो गया है इस प्रकार मूल्य सूचकांक में 49 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 जो कि 01 नवम्बर, 2015 से लागू है, में न्यूनतम वेतन की तटस्थीकरण दर हरियाणा राज्य कर्मकार श्रेणी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा जारी औसत संख्या के साथ 100 प्रतिशत है। जिस अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के तहत दिनांक 01-07-2020 से विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की मासिक और दैनिक वेतन में 1.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अब दिनांक 01-07-2020 से हरियाणा राज्य में न्यूनतम वेतन दरें निम्न अनुसार देय बनती है:-

क्रम संख्या	श्रेणी	पद/योग्यता	मूल वेतन (रु०)	दिनांक 01.01.2020 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क)	मंहगाई भत्ता 01.07.2020 से लागू (रु०) (ख)	दिनांक 01.07.2020 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क+ख)	दैनिक वेतन (रु०)
1.	अकुशल		7600.00	9319.12	139.08	9458.20	363.77
2.	अर्धकुशल (ए) (बी)		7980.00 8379.00	9785.05 10274.29	146.03 153.33	9931.08 10427.62	381.96 401.06
3.	कुशल (ए) (बी)		8797.95 9237.85	10788.01 11327.42	161.00 169.05	10949.01 11496.47	421.11 442.17
4.	उच्च कुशल		9699.74	11893.79	177.50	12071.29	464.28
5.	लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ	(i) मैट्रिक से कम	7980.00	9785.05	146.03	9931.08	381.96
		(ii) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं	8379.00	10274.29	153.33	10427.62	401.06
		(iii) स्नातक या ऊपर	8797.95	10788.01	161.00	10949.01	421.11
		(iv) स्टेनो टाईपिस्ट	8379.00	10274.29	153.33	10427.62	401.06
		(v) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	8797.95	10788.01	161.00	10949.01	421.11
		(vi) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	9237.85	11327.42	169.05	11496.47	442.17
		(vii) निजी सहायक	9699.74	11893.79	177.50	12071.29	464.28
		(viii) निजी सचिव	10184.73	12488.48	186.38	12674.86	487.49
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर		8797.95	10788.01	161.00	10949.01	421.11
7.	चालक	हल्का वाहन	9237.85	11327.42	169.05	11496.47	442.17
		भारी वाहन	9699.74	11893.79	177.50	12071.29	464.28
8.	सुरक्षाकर्मी	बिना शस्त्र	7980.00	9785.05	146.03	9931.08	381.96
		शस्त्र सहित	9237.85	11327.42	169.05	11496.47	442.17
9.	सुरक्षा निरीक्षक/ सुरक्षा अधिकारी/ सुरक्षा सुपरवाइजर	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2019, जो कि Civil Appeal No. 2539 of 2010 titled as 'Hindustan Sanitaryware and Industries Limitd and others versus State of Haryana and Civil Appeal No. 4454 of 2019 titled as 'Faridabad Industries Association Versus State of Haryana and another' के निर्णय अनुसार इस श्रेणी के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने वाली अधिसूचना से निकाल दिया गया है।					
10.	सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार, जो कि CWP No. 25328 of 2015 titled as 'Gurugram Industrial Association and another Versus State of Haryana के द्वारा इस श्रेणी के कर्मचारियों को अनुसूचित नियोजनों की सूची में होना अनुचित ठहराया है। अतः इस श्रेणी की न्यूनतम आय अधिसूचित नहीं की जा रही है। परन्तु विभिन्न नियोजनों में कार्यरत सफाई कर्मचारी दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना जारी होने से पहले की भांति न्यूनतम वेतन पाने की हकदार रहेंगे।					

नोट:- क्रम संख्या 10 के कर्मचारियों से पूर्व में दिये गये वेतन से कोई वसूली/कटौती नहीं की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.07.2020 से ईट भट्टा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के मूल वेतन में 1.83 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। अब दिनांक 01.07.2020 से हरियाणा राज्य में ईट भट्टा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के दरें निम्न प्रकार से देय बनती हैं:-

क्र० सं०	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	538.88 रुपये	606.24 रुपये
2.	भराई वाला(भट्टों में ईटों की भराई)	(क) 242.47 रुपये प्रति हजार ईट भट्टे में भरना परन्तु खेत से भट्टे तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 21.51 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर ही लागू होंगी। (ख) एक हजार मीटर दूरी तक 199.35 रुपये टैम्पू या पशु चलित रेहड़ी या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईट भट्टों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 21.51 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।	
3.	कैरीवाला	43.07 रुपये प्रति एक हजार ईट	
4.	निकासी वाला	177.81 रुपये प्रति एक हजार ईट	
5.	चुनाई वाला	10949.01 रुपये प्रति मास	
6.	मिस्त्री/कोलमैन/जलाई वाला	10949.01 रुपये प्रति मास	

Indelle
उप श्रम आयुक्त
हरियाणा, चण्डीगढ़

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त निर्धारित दरों को पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें।

30/
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2020/ 11083-11109 दिनांक: 11/11/2020

✓ इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री, हरियाणा के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, श्रम राज्य मंत्री को श्रम राज्य मंत्री हरियाणा के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव प्रधान सचिव, श्रम विभाग को प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के सूचनार्थ।
5. निजी सचिव श्रम आयुक्त को श्रम आयुक्त, हरियाणा के सूचनार्थ।
6. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

7. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़।
8. निदेशक, विकास पंचायत, विभाग, प्लॉट नं 3/28-ऐ हरियाणा चण्डीगढ़।
9. निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।
10. निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
11. निदेशक, शहरी विकास, हरियाणा, चण्डीगढ़।
12. निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
13. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
14. प्रबंधक निदेशक, हरियाणा डेयरी विकास निगम, पंचकुला।
15. प्रबंधक निदेशक, हैफेड, हरियाणा, पंचकुला।
16. आयुक्त, राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।
17. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, पंचकुला।
18. सभी जिला उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
19. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य), हरियाणा, चण्डीगढ़।
20. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग), हरियाणा, चण्डीगढ़।
21. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला।
22. मुख्य वनपाल, हरियाणा, पंचकुला।
23. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
24. सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, पंचकुला।
25. सभी अधिकारी, (मुख्यालय)
26. आई0टी0 अनुभाग।

उप श्रम आयुक्त
हरियाणा, चण्डीगढ़


कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।